फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

जरीना वगैरह बनाम बलविन्द्र आदि

किस्म मुकदमा:–212 आर.टी.ए. प्रकरण संख्या:–153/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.02.2020	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण के पति/पिता भाउशाह के नाम रोही ठूकराना खसरा संख्या 84/8 की 7.590 है0 भूमि नया खसरा परिवर्तन होने पर ख0न0 420/84/7.590 है0 खातेदारी भूमि में पैमुद होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी, जो भाउशाह की मृत्यु के बाद प्रार्थीगण के नाम विरास्तन दर्ज हो चुकी है। अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये बैयनामा मागू पुत्र मिस्री से रोही ठूकराना के खसरा संख्या 84/8/2.530 है0 भूमि खरीद की है, उक्त भूमि तत्पश्चात् नया खसरा परिवर्तन होने पर खसरा संख्या 418/18 में पैमुद की गई है। बलविन्द्र एक खरीददार कृषक है जो कि स्ट्रेन्ज परचेजर है, उक्त भूमि पर खरीददार का अंकित खातेदार से ज्यादा बेटर टाईटल नही बनता है। प्रार्थीगण के नाम की अंकित भूमि ख0न0 84/8 की 30.00 बीघा भूमि खसरा परिवर्तन होने पर ख0न0 420/84 में पैमुद हुई है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी 1 की भूमि एक ही खसराजात की है अप्रार्थी द्वारा भूमि मांगू खां से खरीद की है जबकि प्रार्थीगण पुराने खातेदार कृषक है। प्रार्थीगण का पुराना कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण की सुधारी हुई भूमि पर जबरन कब्जा करने की फिराक में है तथा मौका पर स्थिति परिवर्तन करने को आमदा है। प्रार्थीगण की भूमि थर्मल प्लांट के चिपती भूमि है जो कि सड़क पर 1.10 बीघा है व शेष सड़क से पीछे है उक्त भूमि सड़क ठूकराना से सोमासर लिंक रोड़ पर स्थित है, अप्रार्थी संख्या 1 अपनी समस्त भूमि सड़क के चिपता लाने की फिराक में है। इसलियें प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। कानूनी नजीर आरबीजे (25) 2018 पेज 706 एवं आरएलडब्लयू 2012(2) पेज 1085 प्रस्तुत की। वकील अप्रार्थी ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि वादीगण का इस खसरा संख्या 84/ के किस दिशा या किस पासा में रकबा के बाबत प्रार्थीगण ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। अप्रार्थी ने मागू खां के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 84/8 के 6.325 है0 रकबा में से 10.00 बीघा बारानी रकबा को खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया था, जिसका रिकार्ड में अमलदरामद होने के पश्चात तहसीलदार सूरतगढ़ से दिनांक 09.02.2013 को करवा लिया इसके अलावा प्रार्थी अपरिचित केता नही है अप्रार्थी का नाम रिकार्ड में दर्ज है व मौका पर अप्रार्थी का अपने खसरा के रकबा पर ही कब्जा काश्त है। प्रार्थीयान कर ख0न0 84/8 में किस दिशा पर है साबित नही है अप्रार्थी का रकबा थर्मल के पास है प्रार्थीयान अप्रार्थी के रकबा पर दखलदांजी करना चाहते है। प्रार्थीगण पैमाईश भी करवा सकते थे। अप्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है, रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन जारी नही किया जा सकता है। प्रार्थीगण स्थगन की आड़ में अप्रार्थी के सड़क के चिपता रकबा पर काबिज होना चाहते है। इसलिये प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे। वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का भी गहन अध्ययन किया एवं प्रस्तुत कानून नजीर का भी अवलोकन किया। प्रार्थीगण रोही ठूकराना खसरा संख्या 84/8 की 7.590 है0 खातेदारी भूमि नया खसरा परिवर्तन होने पर खसरा संख्या 420/84 में पैमुद 7.590 है0 भूमि के अंकित खातेदार है एवं अंकित खातेदारी भूमि में किसी अन्य को दखलदांजी करने का कोई अधिकार नही है। इसलिये वाद के निर्णय तक प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही भूमि में मदाखलत बेजा नही करनें व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखना उचित समझता हूं। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रा0पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे वाद के निर्णय तक रोही ठूकराना खसरा संख्या 84/8 की 7.590 है0 खातेदारी भूमि नया खसरा परिवर्तन होने पर खसरा संख्या 420/84 में पैमुद 7.590 है0 भूमि में मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे व प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही भूमि में मदाखलत बेजा न करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 04.2.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.02.19 18:02:26 IST
Reason: SelfAttested